

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3563] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 09, 1941 No. 3563] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 09, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3955(अ).— कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी रजिस्ट्रार, जम्मू को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के बारे में कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन और कार्यों के निर्वहन के लिए न्यायाधिकार होगा।

2. यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 5/20/2019-क-सीएल.V]

के वी आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATION AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O.3955(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Registrar of Companies Jammu shall have jurisdiction in respect of Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, for the purpose of registration of companies and discharging the functions under the aforesaid Act.

2. This notification shall come into force with effect from 31st October, 2019.

[F. No.5/20/2019-A -CL-V]

K.V.R.MURTY, Jt. Secy.

5666 GI/2019